प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक (सेवा) 5043/2008

--

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी : सुनील कुमार शर्मा

बनाम

प्रत्यर्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक (सेवा) 1690/2009

-- **अपीलार्थी :** सुनील कुमार शर्मा

बनाम

प्रत्यर्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

अवमानना प्रकरण (सिविल) क्रमांक 313/2008

<u>परिवादी</u> : सुनील कुमार शर्मा

(याचिकाकर्ता)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अवमाननाकर्तागण</u> : श्री आर. रायसागर एवं अन्य

(प्रत्यर्थीगण)

आदेश किए जाने हेतु दिनांक 16 अगस्त 2011 को सूचीबद्ध करें।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

-- रिट याचिका क्रमांक (सेवा) 5043/2008

अपीलार्थी : सुनील कुमार शर्मा

बनाम

प्रत्यर्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

उपस्थित: श्री वी.जी. तामस्कर, याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री अरुण साव, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 3 हेतु शासकीय अधिवक्ता।

श्री वाय.एस. ठाकुर, श्री पल्लव मिश्रा के साथ, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 हेतु अधिवक्ता।

--

रिट याचिका क्रमांक (सेवा) 1690/2009

--

अपीलार्थी : सुनील कुमार शर्मा

बनाम

प्रत्यर्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

-- उपस्थित : श्री वी.जी. तामस्कर, याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता।

श्री अरुण साव, राज्य/प्रत्यर्थीगण हेतु शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

-- **(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)**

तथा

---------- **अवमानना प्रकरण (सिविल) क्रमांक 313/2008**

-- **<u>परिवादी</u>** : सुनील कुमार शर्मा

(याचिकाकर्ता)

बनाम

अवमाननाकर्तागण : श्री आर. रायसागर एवं अन्य

(प्रत्यर्थीगण)

----------उपस्थित : श्री वी.जी. तामस्कर, याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री वाय.एस. ठाकुर, श्री पल्लव मिश्रा के साथ, अवमाननाकर्तागण हेतु अधिवक्ता।

--

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अवमानना याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति।

(दिनांक 16 अगस्त, 2011 को आदेश पारित।)

1. रिट याचिका क्रमांक 5043/2008 एवं 1690/2009 तथा अवमानना प्रकरण (सिविल) क्रमांक 313/2008 समान कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार सभी याचिकाओं पर विचार किया जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है।

2. रिट याचिका क्रमांक 5043/2008 में चुनौती दिनांक 30-6-2008 के आदेश को है जिसके तहत याचिकाकर्ता को सहायक ग्रेड 3 के पद से कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम), सकरी के कार्यालय से कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन प्रभाग, कोटा के कार्यालय में, स्वयं के व्यय पर, स्थानांतरित किया गया था। साथ ही, दिनांक 2-9-2008 के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत दिनांक 30-6-2008 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को 'स्वयं के व्यय' शब्दों को 'प्रशासनिक कारणों' में बदलकर खारिज कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को कोई भी और स्थानांतरण आदेश पारित करने से रोकनें का आदेश देने की प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. रिट याचिका क्रमांक 5043/2008 दायर करने से पूर्व, याचिकाकर्ता ने एक रिट रिट याचिका क्रमांक 3941/2008 (सुनील कुमार शर्मा बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) दायर की थी, जिसमें दिनांक 30-6-2008 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि याचिकाकर्ता ने कभी भी अपने स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया था, इस प्रकार स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अनुचित और दूषित (बुनियादी तौर पर दोषपूर्ण) है।

4. दिनांक 23-7-2008 के आदेश द्वारा, विद्वान राज्य के अधिवक्ता के इस प्रस्तुतीकरण पर कि यदि अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे विधि के अनुसार और उसके स्वयं के गुणों पर, अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, संबंधित प्राधिकारी द्वारा विचारित और निराकृत किया जाएगा। रिट याचिका क्रमांक 3941/2008 का निराकरण कर दिया गया था, साथ ही यह अतिरिक्त निर्देश दिया गया था कि अभ्यावेदन का निराकरण होने तक, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी बाध्यकारी कदम नहीं उठाया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा 25-7-2008 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। जल संसाधन विभाग के अवर सचिव ने दिनांक 2-9-2008 के आदेश द्वारा उक्त अभ्यावेदन को खारिज कर दिया, जिसमें

आक्षेपित आदेश दिनांक 30-6-2008 में संशोधन करते हुए यह कहा गया था कि 'स्वयं के व्यय' के स्थान पर इसे 'प्रशासनिक कारणों' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 9-9-2008 को यह वर्तमान रिट याचिका, रिट याचिका क्रमांक 5043/2008 (संक्षेप में जिसे 'पहली याचिका' कहा गया है) दायर की।

6. पहली रिट याचिका में दिनांक 15-9-2008 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता की पदस्थापना के संबंध में यथास्थिति को सुनवाई की अगली तारीख तक बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया गया था, जो उसके बाद भी जारी रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस बीच, याचिकाकर्ता ने 11-11-2008 को एक अवमानना याचिका, अवमानना प्रकरण (सिविल) क्रमांक 313/2008 दायर की, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध आपराधिक अवमानना का स्वतः संज्ञान लिया जाए, क्योंकि उन्होंने 'स्वयं के व्यय' शब्द को 'प्रशासनिक कारणों' में बदलकर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था, जो न्यायालय की अवमानना है।

8. अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया गया था। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने अपने उत्तर में यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उसके मूल पदस्थापना स्थल से दिनांक 22-7-2008 के आदेश के तहत, आक्षेपित आदेश दिनांक 30-6-2008 के अनुसरण में, मुक्त कर दिया गया था। तत्पश्चात्, इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 3941/2008 में दिनांक 23-7-2008 को पारित आदेश, जिसमें निर्देश दिया गया था कि अभ्यावेदन के निराकरण तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई बंधनकारी कदम नहीं उठाया जाएगा, का कोई परिणाम नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने अपने उत्तर में, उसी तर्क को दोहराते हुए, आगे यह प्रस्तुत किया कि सही आदेश दिनांक 2-9-2008 को पारित किया गया था। और तत्पश्चात्, यथास्थिति का आदेश इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 5043/2008 में दिनांक 15-9-2008 को पारित किया गया था। दिनांक 2-9-2008 का सही आदेश कोई नया

आदेश नहीं था; इसलिए, याचिकाकर्ता दिनांक 30-6-2008 के पूर्व के आदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य था, जिसे दिनांक 22-7-2008 को प्रभावी किया गया था।

10. इसके पश्चात्, याचिकाकर्ता ने दिनांक 27-3-2009 को एक और रिट याचिका, रिट याचिका क्रमांक 1690/2009 दायर की, जिसमें 1-8-2008 से याचिकाकर्ता के वेतन को जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई।

11. कार्यपालक अभियंता (ई एवं एम), लाइट मशीनरी, नुलकूप और गेट प्रभाग, साकरी ने दिनांक 6-11-2008 को वेतन जारी करने हेतु याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि महाधिवक्ता द्वारा दिए गए मत के अनुसार याचिकाकर्ता किसी भी वेतन का हकदार नहीं है। दुर्भाग्यवश, आगे यह भी कहा गया था कि इस संबंध में, कर्मचारी द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह सत्य है कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं था और याचिकाकर्ता को दिनांक 22-7-2008 को मूल पदस्थापना स्थल से नए पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसके पश्चात्, दिनांक 2-9-2008 को यह संशोधन किया गया था कि 'स्वयं के व्यय' शब्द को 'प्रशासनिक कारणों' के रूप में सही किया जाए।

13. अवर सचिव ने अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के कारण प्रशासनिक थे।

14. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना है, और अभिवचनों तथा संलग्न दस्तावेज़ों का अवलोकन किया है।

15. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पहला स्थानांतरण आदेश दिनांक 30-6-2008 को 'स्वयं के व्यय' पर पारित किया गया था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपने स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। अतः, विद्वान राज्य के अधिवक्ता के अनुरोध पर, रिट याचिका क्रमांक 3941/2008 में राज्य को यह निर्देश दिया गया था कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर, विधि के अनुसार और उसके स्वयं के गुणों पर विचार करे और निर्णय ले। तत्पश्चात्, दिनांक 2-9-2008 के आदेश द्वारा 'स्वयं के व्यय' शब्द को 'प्रशासनिक कारणों' में बदलकर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. प्राधिकारी 'स्वयं के व्यय' शब्द के साथ 'प्रशासनिक कारणों' का खेल खेल रहे हैं। वे इस तथ्य को समझने में विफल रहे कि 'स्वयं के अनुरोध

पर स्थानांतरण' और 'प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण' के बीच एक पर्याप्त अंतर है।

17. यदि स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, तो यह लोक हित में माना जाता है, और उस स्थिति में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कि दुर्भावना या वैधानिक नियमों या विनियमों के उल्लंघन या स्थानांतरण आदेश पारित करने वाले अधिकारी की अक्षमता का आरोप न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अनुरोध पर स्थानांतरण, जबकि अनुरोध किया ही नहीं गया था, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को स्थानांतरण भत्ता नहीं दिया गया, जैसा कि अन्य कर्मचारियों को विधिक रूप से स्वीकार्य है जिन्हें प्रशासनिक आवश्यकता और लोक हित में स्थानांतरित किया गया था।

19. दिनांक 2-9-2008 का आदेश पारित करते समय प्राधिकारियों को तथ्यों और परिस्थितियों को समझना चाहिए था, इसलिए, दिनांक 30-6-2008 का पहला आदेश स्थिर रखनें योग्य नहीं था। प्राधिकारियों ने विधिक प्रावधानों को समझे बिना, केवल 'स्वयं के व्यय' शब्द को

'प्रशासनिक कारणों' में बदलकर आदेश को दोहराया। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि आदेश पारित करने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया था।

20. जहाँ तक वेतन और अन्य भत्तों की स्वीकृति का संबंध है, दिनांक 6-11-2008 के आदेश को बिना विवेक का प्रयोग किए पारित किया है ऐसा प्रतीत होता है। अधिकारियों की समझ कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है कि यदि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश से संरक्षण प्राप्त है, तो याचिकाकर्ता/कर्मचारी को न्यायालय में जाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। अंतिम वाक्य कि कर्मचारी को कोई पत्राचार नहीं करना चाहिए, यह याचिकाकर्ता/कर्मचारी को उसकी शिकायतों के निवारण की मांग करने के अधिकार से वंचित करता है, जो सेवा न्यायशास्त्र के सुस्थापित मानदंडों का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. याचिकाकर्ता उस तारीख से वेतन और भत्तों का हकदार है जब पहली याचिका, अर्थात रिट याचिका क्रमांक 3941/2008, का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23-7-2008 को निराकरण किया गया था। इस आदेश में यह निर्देश दिया गया था कि अभ्यावेदन के निराकरण तक याचिकाकर्ता

के विरुद्ध कोई बाध्यकारी कदम नहीं उठाया जाएगा। इसके बाद, रिट याचिका क्रमांक 5043/2008 में दिनांक 15-9-2008 को पारित यथास्थिति आदेश की तारीख से भी वह हकदार है।

22. प्रत्यर्थीगण ने यह गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि चूँकि याचिकाकर्ता को दिनांक 22-7-2008 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया था, इसलिए वह वेतन का हकदार नहीं था। दिनांक 30-6-2008 का पहला आदेश उचित और वैधानिक नहीं पाया गया है; इसलिए, प्रत्यर्थीगण का यह विचार कि याचिकाकर्ता को 22-7-2008 को अनुचित आदेश के अनुसरण में कार्यमुक्त किया गया था, कानून की दृष्टि में स्थिर रखनें योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. यह ऐसा मामला है जहाँ यह प्रतीत होता है कि यह एक सामान्य स्थानांतरण नहीं है, बल्कि यह याचिकाकर्ता को परेशान करने के एकमात्र उद्देश्य से पारित किया गया था। और इस प्रक्रिया में, अधिकारियों ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के शब्द और भावना का सम्मान नहीं की तथा अपनी सनक और कल्पना के अनुसार निर्णय लिया।

24. प्रत्यर्थीगण ने स्वयं को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की व्याख्या करने की शक्ति को अनाधिकृत रूप से अपनाने का प्रयास किया है, जो प्रत्यर्थी अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्योंकि न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सभी अधिकारियों पर बन्धनकारी होता है।

25. उपर्युक्त कारणों से, दिनांक 30-6-2008 और 2-9-2008 के आदेशों को निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता इस आदेश से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी लाभों का हकदार है। तदनुसार, रिट याचिका क्रमांक 5043/2008 और 1690/2009 को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अवमानना प्रकरण (सिविल) क्रमांक 313/2008 में, अवमानना नोटिस को निरस्त किया जाता है। अवमानना रिट याचिका में प्रत्यर्थीगण को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी दी जाती है।

27. तदनुसार, अवमानना प्रकरण (सिविल) क्रमांक 313/2008 का निराकरण किया जाता है।

28. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

--

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur